न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 73/2019 (जीसीएमएस 2019/00275)

1. जगदीश पुत्र ग्यारसा जाति गूर्जर निवासी नौरंगपुरा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान।

------अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैंड होल्डर (भू.अ.) तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
2. कैलाश पुत्र घड़सी जाति गूर्जर निवासी नौरंगपुरा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान।

-----रेस्पोडेंटस

3. सरबती पत्नी फूलचन्द,
4. बिशम्भर पुत्र फूलचन्द,
5. रामसिंह पुत्र फूलचन्द,
6. जयराम पुत्र ग्यारसा,
7. गोकुल पुत्र ग्यारसा,
8. कमली पत्नी उमराव,
9. हवा सिंह पुत्र उमराव,

समस्त जाति गुर्जर निवासी नौरंगपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।

---प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली के समक्ष तहसीलदार कोटपुतली द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 521 दिनांक 05.06.2006 के विरूद्ध विस्तृत तथ्यों के साथ मय दफा 5 आवेदन के अपील पेश कर निवेदन किया कि प्रश्नागत नामांतरकरण मृतक ग्यारसा के वारिसान अपीलांट व प्रोफामा रेस्पोडेंटस को सुनवाई का अवसर दिये बगैर तस्दीक किया है और प्रश्नागत नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय 24.05.2006 के आधार पर तस्दीक किया गया है जो भी विधि विपरित व क्षैत्राधिकार के बाहर था उसमें भी अपीलांट को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही विधि विरूद्ध निर्णय से अपीलान्ट की अपील को खारिज फरमा दिया गया है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी आये कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.03.1983 से प्रश्नागत नामांतरकरण में वर्णित आराजी को 1/2 हिस्सा अपीलांट व प्रोफार्मा रेस्पोडेंटस व 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंटस संख्या 2 के पिता घड़सी पुत्र जालिम की खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये है और कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि भू प्रबंध विभाग को सहमति से भी खातेदारी देने के अधिकार नहीं है, प्रश्नगत प्रकरण में भू प्रबंध विभाग द्वारा 1/2 हिस्से की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता घड़सी पुत्र जालिम की खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये है जो भू प्रबंध विभाग के क्षैत्राधिकार के बाहर है जिसके आधार पर तहसीलदार ने 24.05.2006 को निर्णय दिया अपीलाधीन नामांतरकरण उक्त निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया जो विधिसम्मत न होने के कारण निरस्तनीय था लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2019 पारित करने में भंयकर गलती की है जो निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.03.1983 व शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 24.05.2006 को रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता घड़सी पुत्र जालिम की खातेदारी 1/2 हिस्से में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जो क्षैत्राधिकार के बाहर है क्योंकि खातेदारी दिये जाने के आदेश देने का क्षैत्राधिकार लैंड रिकार्ड ऑफिसर को है, तहसीलदार ने क्षैत्राधिकार के बाहर निर्णय पारित किया है जिसके आधार पर तस्दीक प्रश्नागत नामांतरकरण भी क्षैत्राधिकार के बाहर था लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भंयकर गलती की है जो अपीलीधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि वास्तविक स्थिति तो यह है कि प्रश्नागत नामांतरकरण में वर्णित आराजी से रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता घड़सी पुत्र जालिम का कोई सरोकार संबंध कब्जा काश्त नहीं है अपितु प्रश्नागत नामांतरकरण में वर्णित आराजी संपूर्ण पर अपीलांट ही काबिज है, वास्तविकता के विपरित तस्दीक प्रश्नागत नामांतरकरण निरस्तनीय था लेकिन अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील अपीलाधीन निर्णय से खारिज करने में भंयकर गलती की है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2019 व तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 521 वाकै ग्राम खेडा निहालपुरा पर पारित आदेश दिनांक 05.06.2006 को भी निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 521 दिनांक 01.06.2006 वाके ग्राम खेडा निहालपुरा अपीलान्ट जगदीश पुत्र ग्यारसा के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार

कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2006 की पालना में खोला गया है, तथा अपीलान्ट स्वयं तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी के रूप में मौजूद है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को नही थी यह सर्वथा गलत है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट जगदीश ने उक्त भूमि बाबत एक दावा जयराम बनाम सहायक अभियन्ता मुकदमा नम्बर 110/2013 न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कोटपूतली में दिनांक 18.05.2013 को प्रस्तुत किया था जिसमें स्वयं अपीलान्ट जगदीश पुत्र ग्यारसा वादी संख्या 3 है ने अपने वाद पत्र में नामान्तरकरण में वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से को खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट को माना है इससे भी यह साबित है कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण के बारे में शुरू से ही जानकारी थी।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपील में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद न्यायालय सिविल जज साहब कोटपूतली के न्यायालय में 12.07.1947 को पेश किया गया था को वादी घीसाराम वल्द जुगल किशोर ब्राहाम्ण निवासी खेडा ने अपीलान्ट व रेस्पोडेनट के पिता ग्यारसी उर्फ ग्यारस, घडसी पुत्रान जालिम गुर्जर निवासी नौरंगपुरा के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मेरी आराजी पर उक्त प्रतिवादीगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता ग्यारसा व घडसी ने जबरन कब्जाकर रखा है जिसे बेदखल कर कब्जा दिलाया जावें, जिसके जवाब दावे में अपीलान्अ एवं रेस्पोडेन्ट के पिता ग्यारसा व घडसी ने ये माना है कि दोनों भाई 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपील में वर्णित आराजीयात पर दोनों भाई ग्यारसा व घडसी वर्ष 1947 से पूर्व ही काबिज चले आ रहे है। उन्होन आगे कथन किया है कि ग्यारसा बड़ा भाई होने के कारण धारा 19 आर.टी.ए. में केवल ग्यारसा का नाम दर्ज कर दिया गया था जिस बाबत रिकार्ड दुरूस्ती के लिये भू प्रबन्ध अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर भू प्रबन्ध अधिकारी ने दोनों के पख में निर्णय दिनांक 25.07.1983 मिसल संख्या 1162/78 में मिसल बन्दोबस्त 2037–56 में लाल स्याही से दुरूस्त कर नोट भी दोनो भाईयो ग्यारसा व घडसी के नाम दर्ज कर दियिा गया था तथा लगानी पर्चा भी दोनों भाईयों ग्यारसा व घडसी के नाम से जारी कर दिया गया था इस प्रकार अपील में वर्णित आराजी पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता ग्यारसा व घडसी हिस्सा 1/2–1/2 पर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे थें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने केवल नामान्तरकरण संख्या 521 दिनांक 01.06.2006 के सम्बन्ध में ही अपील प्रस्तुत की है तथा उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार कोटपूतली के निर्णय दिनांक 24.05.2006 की पालना में तस्दीक किया गया है जिसे अपीलान्ट द्वारा चुनौती नही दी गई है ऐसी स्थिति में जब जिस निर्णय की पालना में नामान्तरकरण खोला गया है उस निर्णय को ही चुनौती नही दी है तो अपीलान्ट की अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य

माननीय आयुक्त जयपुर

ही थी। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कोटपूतली में जो संशोधन का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था उसको भी न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कोटपूतली द्वारा खारिज करते हुए अपील में वर्णित आराजी का 122 जो दोनों पक्षों के स्वीकृत रूप से माना गया था को बहाल रखा गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों को मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक तौर पर परीक्षण करने के उपरान्त एवं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि श्रीमती शरबती देवी वगैरह द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) दर्ज कर एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 25.07.1983, शपथ पत्र पक्षकारान व रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर वादग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/2 ग्यारसा के वारिसान व हिस्सा 1/2 घडसी के वारिसान का मानते हुए आदेश दिनांक 24.05.2006 पारित किया गया है जिसकी पालना में उक्त नामान्तरकरण संख्या 521 को दिनांक 05.06.2006 स्वीकृत किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे कि तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 24.05.2006 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हों। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही थी। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।